



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-28072022-237617
CG-DL-E-28072022-237617

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3295]
No. 3295]

नई दिल्ली, बुधवार, जुलाई 27, 2022/श्रावण 5, 1944
NEW DELHI, WEDNESDAY, JULY 27, 2022/SHRAVANA 5, 1944

रसायन और उर्वरक मंत्रालय

(रसायन एवं पेट्रोरसायन विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 27 जुलाई, 2022

का.आ. 3457(अ).—केन्द्रीय सरकार, भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 (2016 का 11) की धारा 16 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए रसायन और उर्वरक मंत्रालय, रसायन एवं पेट्रोरसायन विभाग द्वारा प्रकाशित मोरफोलीन (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2020 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात:—

उक्त आदेश में पैराग्राफ 1 में उप-पैराग्राफ (2)के लिए निम्नलिखित उप-पैराग्राफ प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात :-

"(2) यह आदेश 1 फरवरी, 2023 को प्रवृत्त होगा।"

[फा. सं. सी. II-13012/3/2021-रसा. II]

सुशांत कुमार पुरोहित, संयुक्त सचिव

नोट: मोरफोलीन के लिए मूल आदेश भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii) में अधिसूचना संख्या का.आ. 1893 (अ) दिनांक 16 जून, 2020 के तहत प्रकाशित किया गया था। इसके बाद इसे अधिसूचना संख्या का.आ. 2030 (अ) दिनांक 25 मई, 2021 और का.आ. 399 (अ) दिनांक 31 जनवरी, 2022 द्वारा संशोधित किया गया।

MINISTRY OF CHEMICALS AND FERTILIZERS**(Department of Chemicals and Petrochemicals)****ORDER**

New Delhi, the 27th July, 2022

S.O. 3457(E).—In exercise of the powers conferred by section 16 of the Bureau of Indian Standards Act, 2016 (11 of 2016), the Central Government hereby makes the following amendment in the Morpholine (Quality Control) Order, 2020 published by the Ministry of Chemicals and Fertilizers, Department of Chemicals and Petrochemicals, namely:—

In the said order, in paragraph 1, for sub-paragraph (2), the following sub-paragraph shall be substituted, namely:—

“(2) This order shall come into force on the 1st February, 2023.”

[F. No. C.II-13012/3/2021- Chem.II]

SUSANTA KUMAR PUROHIT, Jt. Secy.

Note: The principal order for Morpholine was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-Section (ii) vide notification number S.O. 1893(E) dated the 16th June, 2020. Subsequently amended vide notification numbers S.O. 2030(E) dated the 25th May, 2021 and S.O. 399 (E) dated the 31st January, 2022.

आदेश

नई दिल्ली, 27 जुलाई, 2022

का.आ. 3458(अ).—केन्द्रीय सरकार, भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 (2016 का 11) की धारा 16 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए रसायन और उर्वरक मंत्रालय, रसायन एवं पेट्रो रसायन विभाग द्वारा प्रकाशित एसिटिक एसिड (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2019 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात:—

उक्त आदेश में पैराग्राफ 1 में उप-पैराग्राफ (2) के लिए निम्नलिखित उप-पैराग्राफ प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात :—

"(2) यह आदेश 3 फरवरी, 2023 को प्रवृत्त होगा।

[फा. सं. सी. II-13012/3/2021-रसा.II]

सुशांत कुमार पुरोहित, संयुक्त सचिव

नोट: एसिटिक एसिड के लिए मूल आदेश भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii) में अधिसूचना संख्या का.आ. 2791 (अ) दिनांक 5 अगस्त, 2019 के तहत प्रकाशित किया गया था। इसके बाद इसे अधिसूचना संख्या का.आ. 344 (अ) दिनांक 24 जनवरी, 2020, का.आ. 2179 (अ) दिनांक 1 जुलाई, 2020, का.आ. 3799 (अ) दिनांक 22 अक्टूबर, 2020, का.आ. 1676 (अ) दिनांक 19 अप्रैल, 2021 और का.आ. 396 (अ) दिनांक 31 जनवरी, 2022 द्वारा संशोधित किया गया।

ORDER

New Delhi, the 27th July, 2022

S.O. 3458(E).—In exercise of the powers conferred by section 16 of the Bureau of Indian Standards Act, 2016 (11 of 2016), the Central Government hereby makes the following amendment in the Acetic Acid (Quality Control) Order, 2019 published by the Ministry of Chemicals and Fertilizers, Department of Chemicals and Petrochemicals, namely:—

In the said order, in paragraph 1, for sub-paragraph (2), the following sub-paragraph shall be substituted, namely:—

“(2) This order shall come into force on the 3rd February, 2023.”

[F. No. C.II-13012/3/2021- Chem.II]

SUSANTA KUMAR PUROHIT, Jt. Secy.

Note: The principal order for Acetic Acid was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-Section (ii) vide notification number S.O. 2791(E) dated the 5th August, 2019. Subsequently amended vide notification numbers S.O. 344(E) dated the 24th January, 2020, S.O. 2179 (E) dated the 1st July, 2020, S.O. 3799 (E) dated the 22nd October 2020, S.O.1676(E) dated the 19th April, 2021 and S.O. 396 (E) dated the 31st January, 2022.

आदेश

नई दिल्ली, 27 जुलाई, 2022

का.आ. 3459(अ).—केन्द्रीय सरकार, भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 (2016 का 11) की धारा 16 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए रसायन और उर्वरक मंत्रालय, रसायन एवं पेट्रोरसायन विभाग द्वारा प्रकाशित मेथनॉल (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2019 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात:—

उक्त आदेश में पैराग्राफ 1 में उप-पैराग्राफ (2) के लिए निम्नलिखित उप-पैराग्राफ प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात :—

"(2) यह आदेश 3 फरवरी, 2023 को प्रवृत्त होगा।"

[फा. सं. सी. II-13012/3/2021-रसा.II]

सुशांत कुमार पुरोहित, संयुक्त सचिव

नोट: मेथनॉल के लिए मूल आदेश भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii) में अधिसूचना संख्या का.आ. 2793 (अ) दिनांक 5 अगस्त, 2019 के तहत प्रकाशित किया गया था। इसके बाद इसे अधिसूचना संख्या का.आ. 345 (अ) दिनांक 24 जनवरी, 2020, का.आ. 2181 (अ) दिनांक 1 जुलाई, 2020, का.आ. 3795 (अ) दिनांक 22 अक्टूबर, 2020, का.आ. 1681 (अ) दिनांक 19 अप्रैल, 2021 और का.आ. 398 (अ) दिनांक 31 जनवरी, 2022 द्वारा संशोधित किया गया।

ORDER

New Delhi, the 27th July, 2022

S.O. 3459(E).—In exercise of the powers conferred by section 16 of the Bureau of Indian Standards Act, 2016 (11 of 2016), the Central Government hereby makes the following amendment in the Methanol (Quality Control) Order, 2019 published by the Ministry of Chemicals and Fertilizers, Department of Chemicals and Petrochemicals, namely:—

In the said order, in paragraph 1, for sub-paragraph (2), the following sub-paragraph shall be substituted, namely:—

“(2) This order shall come into force on the 3rd February, 2023.”

[F. No. C.II-13012/3/2021- Chem.II]

SUSANTA KUMAR PUROHIT, Jt. Secy.

Note: The principal order for Methanol was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-Section (ii) vide notification number S.O. 2793(E) dated the 5th August, 2019. Subsequently amended vide notification numbers S.O. 345(E) dated the 24th January, 2020, S.O. 2181 (E) dated the 1st July, 2020, S.O. 3795(E) dated the 22nd October 2020, S.O. 1681(E) dated the 19th April, 2021 and S.O. 398(E) dated the 31st January, 2022.

आदेश

नई दिल्ली, 27 जुलाई, 2022

का.आ. 3460(अ).—केन्द्रीय सरकार, भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 (2016 का 11) की धारा 16 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए रसायन और उर्वरक मंत्रालय, रसायन एवं पेट्रोरसायन विभाग द्वारा प्रकाशित एनिलीन (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2019 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात:—

उक्त आदेश में पैराग्राफ 1 में उप-पैराग्राफ (2) के लिए निम्नलिखित उप-पैराग्राफ प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात :—

“(2) यह आदेश 3 फरवरी, 2023 को प्रवृत्त होगा।”

[फा. सं. सी. II-13012/3/2021-रसा.II]

सुशांत कुमार पुरोहित, संयुक्त सचिव

नोट: एनिलीन के लिए मूल आदेश भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii) में अधिसूचना संख्या का.आ. 2792 (अ) दिनांक 5 अगस्त, 2019 के तहत प्रकाशित किया गया था। इसके बाद इसे अधिसूचना संख्या का.आ. 203 (अ) दिनांक 15 जनवरी, 2020, का.आ. 2180 (अ) दिनांक 1 जुलाई, 2020, का.आ. 3796 (अ) दिनांक 22 अक्टूबर, 2020, का.आ. 1677 (अ) दिनांक 19 अप्रैल, 2021 और का.आ. 397 (अ) दिनांक 31 जनवरी, 2022 द्वारा संशोधित किया गया।

ORDER

New Delhi, the 27th July, 2022

S.O. 3460(E).—In exercise of the powers conferred by section 16 of the Bureau of Indian Standards Act, 2016 (11 of 2016), the Central Government hereby makes the following amendment in the Aniline (Quality Control) Order, 2019 published by the Ministry of Chemicals and Fertilizers, Department of Chemicals and Petrochemicals, namely:—

In the said order, in paragraph 1, for sub-paragraph (2), the following sub-paragraph shall be substituted, namely:—

“(2) This order shall come into force on the 3rd February, 2023.”

[F. No. C.II-13012/3/2021- Chem.II]

SUSANTA KUMAR PUROHIT, Jt. Secy.

Note: The principal order for Aniline was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-Section (ii) vide notification number S.O. 2792(E) dated the 5th August, 2019. Subsequently amended vide notification numbers S.O. 203(E) dated the 15th January, 2020, S.O. 2180(E) dated the 1st July, 2020, S.O. 3796 (E) dated the 22nd October 2020, S.O. 1677(E) dated the 19th April, 2021 and S.O.397(E) dated the 31st January, 2022.